अध्याय V

विदेश व्यापार नीति की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन

5.1 प्रस्तावना

एफटीपी व्यापार सुगमता में सुधार करने तथा व्यवसाय करने को सुगम बनाने पर फोकस करते हुए माल तथा सेवाओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिए ढ़ाँचा प्रदान करती है। एफटीपी 2015-2020 को केन्द्र सरकार ने संशोधित एफटीडीआर अधिनियम 1992 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया है। एमओसीआई के अंतर्गत डीजीएफटी, एफटीपी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जिसे डीजीएफटी तथा डीओआर द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया गया है।

एफटीपी के अंतर्गत निर्यात संवर्धन योजनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(i) **भारतीय योजनाओं से निर्यात:** इनका उद्देश्य निर्यात को ढ़ाँचागत अक्षमताओं तथा माल के निर्यात संबंधित लागतों का समंजन करने तथा निर्यातको को समान अवसर प्रदान करने के लिए परितोषिक प्रदान करना है। इस श्रेणी में दो मुख्य योजनाएं मरचंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया (एमईआईएस) तथा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया (एसईआईएस) है।

(ii) **शुल्क छूट तथा माफी योजनाएं:** ये निर्यात उत्पादन हेतु पूंजीगत माल और अन्य इनपुटों के रियायती दरों पर शुल्क मुक्त आयातों या रियायती दरों पर आयातों अथवा निर्यातकों द्वारा निर्यातित माल के उत्पादन के दौरान वहन किए गए करों तथा शुल्कों से राहत उपलब्ध कराने के लिए शुल्क माफी को सक्षम बनाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत अग्रिम अधिकार, शुल्क मुक्त आयात अधिकार तथा शुल्क प्रतिअदायगी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ईपीसीजी योजनाएं प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्यात माल के उत्पादन और सेवाओं के लिए शून्य/रियायती दरों के तहत पूंजीगत माल के आयात को सुगत बनाती है। डीजीएफटी विभिन्न निर्यात संर्वधन योजनाओं के अंतर्गत निर्यातको को पत्रक जारी करता है तथा 38 आरए के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्व की जाँच करता है। सभी 38 आरए कम्पयूटरीकृत है तथा डीजीएफटी सेंट्रंल सर्वर से जुड़े हुए हैं। डीजीएफटी द्वारा जारी पत्रक के आयातो को नियमित करने के लिए सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचनाएं जारी की जाती है तथा इन पत्रकों को संबंधित निर्यातकों द्वारा आयुक्तालय के अधीन सीमा

शुल्क हाउस में पंजीगृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत इनपुटों तथा पूँजीगत माल के आयात को सीमा शुल्क से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दी जाती है। ऐसे छूट प्राप्त माल के आयातक निर्धारित निर्यात दायित्वो (ईओ) को पूरा करने के साथ-साथ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने का वचन देते है इसमे विफल होने पर दी गई छूट अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क विभाग द्वारा वसूली योग्य हो जाती है। लाइसेंस धारक, सीमा शुल्क विभाग की कार्यवाई के अतिरिक्त, जारी लाइसेंस की शर्तों को पूरा न करने हेतु एफटीडीआर अधिनियम 1992 के अंतर्गत डीजीएफटी द्वारा दांडिक कार्यवाही का भी दायी होगा। एफटीपी के अध्याय 3 के अंतर्गत कुछ अन्य योजनाओं के संबंध में, ढ़ांचागत अक्षमताओं तथा संबंधित लागतो की भरपाई के लिए पुरस्कार के रूप में निर्यात के एफओबी मूल्य के कुछ प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करता है।

5.2 निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानो का अननुपालन

अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में, "अग्रिम अधिकार (ईओ अवधि 18/24 महीने) के प्रति ईओ को पूरा न करने, ईपीसीजी अधिकार (ईओ अवधि 6 वर्ष) के अनियमित निर्वहन जिस के कारण सीमा शुल्क तथा आयातो पर ब्याज की वसूली न होना, लंबित बीआरसी के प्रति शुल्क प्रतिअदायगी की गैर-वसूली, अनुमत सीमा से अधिक घरेलु टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में उत्पादो की निकासी, डी-बांन्डिग के समय ईओयू द्वारा तैयार माल पर एसएडी का भुगतान न करना, सेज से डीटीए इकाईयों को निकासी किए गए माल पर शुल्क का अनुद्ग्रहण तथा पुन: पूर्ति प्राधिकार का अतिरिक्त ग्रांट हुआ", से संबंधित अनियमितताए देखी गई ।

इन 27 मामलों में कुल राजस्व निहितार्थ ₹27.74 करोड़ था जहाँ एफटीपी तथा एचबीपी के प्रावधानों को पूरा किए बिना शुल्क छूट का लाभ उठाया गया था। विभाग ने ₹15.14 करोड़ वाले 23 मामलो को स्वीकार किया तथा ₹6.65 करोड़ की वसूली की सूचना दी। इनमें से, 10 मामले की अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ₹4.90 करोड़ वाले शेष 17 मामले, जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था तथा जिनमें वसूली की गई /वसूली प्रक्रियाए शुरू की गई को, **अनुबंध 12** में उल्लेखित किया हैं।

5.2.1 शुल्क प्रतिअदायगी योजना

(क) लंबित बीआरसी के प्रति शुल्क प्रतिअदायगी की वसूली न होना

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रतिअदायगी (संशोधन) नियमावली 2006, का नियम 16ए प्रतिअदायगी की राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित प्रावधान करता है, जहाँ निर्यात आय प्राप्त नहीं हुई है:

(i) यदि निर्यात आय निर्यात की तारीख से नौ महीने की अवधि या फेमा, अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाई गई अवधि में प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसे एसबी में स्वीकृत प्रतिअदायगी वसूल की जाएगी।

(ii) यदि निर्यातक फेमा के अंतर्गत स्वीकृत अवधि में या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कथित अवधि के विस्तारण पर निर्यात आय की प्राप्ति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो सहायक आयुक्त/ उप आयुक्त सीमा शुल्क, निर्यातक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमे नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि में निर्यात आय के उद्ग्रहण के साध्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और जहां निर्यातक 30 दिन की कथित अवधि के दौरान निर्यात ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, तो सहायक आयुक्त/ उप आयुक्त सीमा शुल्क प्रतिअदायगी भुगतान की राशि की वसूली के लिए एक आदेश पारित करेगा तथा निर्यातक कथित आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर मांगी गई राशि का भुगतान करेगें।

लेखापरीक्षा ने बीआरसी तथा शुल्क प्रतिअदायगी दावें से संबंधित सीमा शुल्क आयुक्तालय (निवारक), लखनऊ के अधीन आईसीडी पनकी, कानपुर के अभिलेखों की जाँच की (दिसम्बर 2018)। संवीक्षा से पता चला कि एसबी[69] के 364 मामलो में से, 321 मामलो में, अप्रैल 2015 तथा मार्च 2018 के बीच लेट एक्सपोर्ट आर्डर (एलईओ) जारी किए गए थे तथा प्रतिअदायगी लाभ प्राप्त किए गए थे। निर्यातकों ने निर्धारित नौ महीने के खत्म होने के बाद भी निर्यात आय की उगाही के समर्थन में विभाग ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 महीने या अधिक के बाद भी, विभाग ने बीआरसी प्राप्त करने या इन 321 एसबी में स्वीकृत प्रतिअदायगी की वसूली के लिए कोई कार्यवाई शुरू नहीं की थी। इसीलिए, निर्यातकों को भुगतान की गई ₹9.05 करोड़ तक की शुल्क प्रतिअदायगी वसूल करने योग्य थी।

[69] 26.12.2018 को आईसीडी, पनकी, कानपुर में आईसीईएस 1.5 द्वारा सृजित रिपोर्ट के अनुसार

इसे दिसम्बर 2019 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

(ख) निर्यात आय की उगाही न होने पर शुल्क प्रतिअदायगी की वसूली न होना

(i) सीमा शुल्क आयुक्तालय (एयर कार्गो काम्पलेक्स), बैंगलुरू, में 2015 से 2018 की अवधि के लिए ₹4,333.47 करोड़ के एफओबी के साथ 59,241 एसबी में ₹123.89 करोड़ की प्रतिअदायगी राशि का दावा किया गया था। ₹128.11 करोड़ के एफओबी मूल्य तथा ₹4.57 करोड़ के प्रतिअदायगी दावे के 1,377 एसबी में डीजीएफटी' ई-बीआरसी डेटा के साथ आरबीआई की एक्स-ओएस स्टेटमेंण्ट (जुलाई 2018) के प्रति सत्यापन से पता चला कि ₹1.67 करोड़ के प्रतिअदायगी दावे वाले 609 एसबी के संबंध में नियत समय में ₹36.40 करोड़ की निर्यात आय की उगाही नहीं की गई थी। हालांकि, ₹1.67 करोड़ राशि वाले प्रतिअदायगी की वसूली में विभाग द्वारा कोई कार्यवाई शुरू नहीं की गई थी।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि ₹0.15 करोड़ की प्रतिअदायगी तथा ₹6.75 करोड़ की गैर-उगाही वाले 62 एसबी के संबंध में, बैंक मिलान प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। उन्होने आगे बताया कि ₹27.76 करोड़ की अनुद्ग्रहीत निर्यात आय तथा ₹1.46 करोड़ की प्रतिअदायगी वाले 528 एसबी (71 निर्यातकों) के संबंध में एससीएन जारी किए गए थे। विभाग ने ₹1.89 करोड़ की अनुद्ग्रहीत निर्यात आय तथा ₹0.06 करोड़ की प्रतिअदायगी वाले शेष 19 एसबी पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

(ii) इसी प्रकार, सीमा शुल्क आयुक्तालय (नगर), बैंगलुरू, में ₹3.29 करोड़ की प्रतिअदायगी वाले 373 एसबी के संबंध में नियत समय में ₹80.21 करोड़ की निर्यात आय की उगाही नहीं की गई थी।

इसलिए, 920[70] एसबी के संबंध में ₹4.82 करोड़ की कुल प्रतिअदायगी राशि का दावा किया गया था जबकि ₹109.85 करोड़ की निर्यात आय की नियत अवधि में उगाही नहीं की जा सकी जिसको लागू ब्याज सहित वसूली की आवश्यकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

[70] शेष 547 एसबी एसीसी-बेंगलुरु से संबंधित हैं और 373 एसबी आईसीडी-बेंगलुरु से संबंधित हैं।

5.2.2 निर्यात उन्मुख इकाइयाँ (ईओयू)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

(क) अनुमत सीमा से अधिक उत्पादों की डीटीए में निकासी

एफटीपी के पैराग्राफ 6.8(ए) के अनुसार, रत्नों तथा आभूषण के अतिरिक्त अन्य इकाइयां, रियायती शुल्कों के भुगतान पर, सकारात्मक एनएफई की पूर्ति की अवस्था में निर्यातों के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल बेच सकता है। डीटीए बिक्री की पात्रता के भीतर, इकाई डीटीए में उस माल के समान अपने उत्पादों के बेच सकती है, जो इकाइयो से निर्यात किए जाते है या इकाइयो से निर्यात किए जाने की संभावना है। जो इकाइयाँ एक से अधिक उत्पादों का विनिर्माण तथा निर्यात कर रही है, वे इसमे से किसी भी उत्पाद को विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 90 प्रतिशत तक डीटीएस को बेच सकती है बशर्ते कि कुल डीटीए बिक्री अवधि के दौरान किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत की कुल पात्रता से अधिक नहीं हैं। डीटीए बिक्री पात्रता का लाभ पात्रता के उपार्जन के तीन वर्षों के अन्तर प्राप्त किया जाएगा (एचबीपी संस्करण । का परिशिष्ट जी)।

सीप्पज, मुम्बई के अधीन 222 ईओयू में से 2012-13 से 2016-17 के दौरान 150 ईओयू में डीटीए निकासी की गयी। लेखापरीक्षा ने दो इकाईयों की नमूना जांच की और एक ईओयू में अधिक डीटीए निकासी पर शुल्क का कम उद्ग्रहण पाया गया।

मैसर्स 'ए' इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एक 100 प्रतिशत ईओयू, ने इसकी दो इकाईयों में पोली टेट्रा फ्लौरो इथलीन (पीटीएफई) से बनाए गए 6 प्रकार के निर्मित माल का निर्यात किया था। पीटीएफई नोजल निर्मित तथा निर्यातित उत्पादों में से एक था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान, इकाई ने अपनी दो इकाइयो के माध्यम से ₹5.64 करोड़ के मूल्य की पीटीएफई नोजल का निर्यात किया था। ₹5.08 करोड़ (₹5.64 करोड़ का 90 प्रतिशत) के मूल्य की पीटीएफई नोजल की पात्रता के प्रति, इकाई ने ₹33.87 करोड़ मूल्य के पीटीएफई नोजल की रियायती शुल्क दर पर डीटीए में निकासी की गई था। इस प्रकार, पात्रता से अधिक पीटीएफई नोजल की अधिक निकासी के लिए इकाई ₹1.24 करोड़ के शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी।

यह मई 2020 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

(ख) डी-बॉन्डिग के समय पर ईओयू द्वारा तैयार माल पर एसएडी का भुगतान न करना

एफटीपी का पैराग्राफ 6.18(ए) सुनिश्चित करता है कि एक ईओयू लागू उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के भुगतान पर योजना से अलग विकल्प चुन सकता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) प्रावधान करती है कि ईओयू द्वारा उत्पादित या निर्मित तथा भारत में किसी अन्य स्थान पर लाई गई, किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उद्ग्राहय उत्पादन शुल्क अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्राहय सीमा शुल्क के कुल के बराबर राशि होगी। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) बिक्री कर/वेट के बदले आयातो पर एसएडी के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा में निर्धारित शुल्क की जाँच के लिए डी-बान्डिंग से संबंधित चार विवरणों (कच्चा माल, पैकिंग सामग्रियो, कार्य प्रगति तथा तैयार माल) की नमूना जाँच की गई तथा डी-बॉनडेड तैयार माल पर कम शुल्क उद्ग्रहण से संबंधित अनियमितता के बारे में बताया गया था।

मैसर्स 'बी' लिमिटेड, सीजीएसटी वडोदरा-आयुक्तालय के अंतर्गत एक ईओयू, ने मार्च 2016 में डी-बाण्ड प्राप्त किया। लेखापरीक्षा ने इसकी डी-बाण्ड किए गए कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, कार्य प्रगति तथा तैयार माल पर इसके द्वारा ₹8.08 करोड़ के पूरे शुल्क का सत्यापन किया तथा इसके तैयार माल पर ₹98.34 लाख के शुल्क के कम उद्ग्रहण से संबंधित अनियमताओं को इंगित किया था।

इकाई ने डी-बान्डिंग पर ₹20.22 करोड़ मूल्य के तैयार माल की निकासी की थी तथा लागू सीमा शुल्क, सीवीडी तथा शिक्षा उपकर सहित ₹4.36 करोड़ के शुल्क का भुगतान किया परंतु उपरोक्त धारा 3(5) के अंतर्गत 4 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राही एसएडी की राशि का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹98.34 लाख के शुल्क का कम-उद्ग्रहण हुआ जिसकी लागू ब्याज के साथ वसूली की जानी आवश्यक थी।

सीजीएसटी, वडोदरा-I आयुक्तालय ने अभ्युक्तियों (जून 2018/मार्च 2019) को स्वीकार कर इकाई को एक एससीएन जारी किया। आगे प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2020)।

(ग) सेज से डीटीए इकाई को निकासी किए गए माल पर शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ

सेज नियमावली, 2006 के नियम 47 के अनुसार, सेज इकाई सीमा शुल्क के भुगतान पर डीटीए में माल तथा सेवाओं को बेच सकती है।

डीसी, बंताला सेज, के कार्यालय में, बीई रजिस्टर से पाया गया था कि यहां 2018-19 के दौरान ₹2.44 करोड़ के मूल्य के माल की डीटीए निकासी हुई थी। संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि सभी 11 मामलों में मैसर्स 'सी' सोल्यूसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न डीटीए इकाइयो को माल जैसे इंड्स्ट्रियल एयर फिल्टर, स्क्रैप इत्यादि की विभिन्न डीटीए इकाइयो को निकासी की थी।

परन्तु लागू सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹68.67 लाख के शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया जो लागू ब्याज के साथ वसूल करने योग्य था। हालांकि, विभाग ने उसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाई शुरू नहीं की थी।

इस विषय में बताए जाने पर, विभाग ने ₹68.67 लाख की कुल शुल्क राशि की वसूली की सूचना दी (दिसम्बर 2018)।

(घ) डीटीए में पुन: उपयोग योग्य पैकिंग सामग्री की निकासी पर सीमा शुल्क का भुगतान न करना

एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 6.01 (घ) के अनुसार, एक ईओयू अपनी गतिविधियों के लिए सभी प्रकार के आवश्यक माल को, बिना शुल्क के भुगतान के डीटीए से आयात/अधिप्राप्त कर सकता है। अधिसूचना संख्या 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च 2003, की शर्त संख्या 4 (बी) तथा (सी) के अनुसार, दोबारा प्रयोग के लिए उपयुक्त उपयोग की गई पैकिंग सामग्री की शुल्क के भुगतान पर निकासी की जा सकती है जबकि दोबारा उपयोग के लिए अनुपयुक्त उपयोग की गई पैकिंग सामग्री जैसे गत्ता बाक्स, पोलीथीन बैग शुल्क की भुगतान के बिना निकासी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, एफटीपी का 6.15(डी) पैराग्राफ बताता है कि उपयोग की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति लेनदेन मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर दी जा सकती है।

जीएसटी आयुक्तालय हैदराबाद के अंतर्गत एक ईओयू, मैसर्स 'डी' ऐटंरप्राइस लिमिटेड, दवाईयों तथा रसायनों के की भारी मात्रा में विनिर्माण में लगी हुई है। ईओयू ने अप्रैल 2015 से जून के दौरान ₹35.78 लाख के राशि की सीमा

शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए में ₹1.53 करोड़ की राशि की उपयोग की गई पैकिंग सामग्री जैसे ड्रग तथा बैरेल की निकासी की थी।

इस विषय में बताए जाने पर (जनवरी/अप्रैल 2019), विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि "उपयोग किए गए ड्रम/बैरेल" केवल रद्दी थे तथा रद्दी डीलर तथा अन्य खरीदारों को बेच दिए गए जो न तो समान आयतित वस्तुओं के निर्माता है और न ही समान वस्तुओं के विक्रेता, इसीलिए बार-बार उपयोग अर्थात एक ही रसायन जो मूल रूप से इन ड्रमों में प्राप्त किए गए थे, के लिए अनुपयुक्त है। एक्सवाईजेड लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर, पुडुचेरी (2018-टीआईओएल-1956-सैसटैट-मद्रास) के मामले में विभाग ने सैसटैट -दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई बैंच के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इन निकासियों में कोई शुल्क देयता नहीं थी।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सैसटैट, अहमदाबाद ने मैसर्स 'ई' कलर प्राइवेट लिमिटेड बनाम सी.सी.ई तथा एसटी सूरत ॥ (अपील सं. ई/1063/2010-डीबी दिनांक 13 नवम्बर 2018) के मामले में अपने उत्तर में विभाग द्वारा उद्धृत सैसटैट -दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई ब्रांच के निर्णय का तथा इसी तरह के दूसरे मामलो पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि इसमें पैक किए गए इनपुट में से उत्पन्न खाली ड्रम/बैरेल प्रकृति से टिकाऊ तथा दोबारा उपयोग योग्य है, इसीलिए अधिसूचना सं. 22/2003 दिनांक 31 मार्च 2003 तथा 52 सीमा शुल्क दिनांक 31 मार्च 2003 के अनुसार ऐसे खाली ड्रमो की निकासी शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।

5.2.3 अग्रिम प्राधिकार योजना

(क) जैम रिपलिन्समेंट प्राधिकार की अधिक अनुमति

एफटीपी, 2015-20 के पैराग्राफ 4.35 के अनुसार, एक निर्यातक सादे या जड़ित सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों तथा वस्तुओं के लिए आरए से जैम रिपलिन्समेंट प्राधिकार प्राप्त कर सकता है। इस तरह के प्राधिकार का मूल्य 7 प्रतिशत (एचबीपी का पैराग्राफ 4.60, खण्ड-I) के निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक वसूली के संदर्भ में निर्धारित करना होगा। एचबीपी का पैराग्राफ 4.38, खण्ड । निर्धारित करता है कि मूल्य वर्धन का निर्धारण करने के लिए निर्यात उत्पाद में सोने/चाँदी/प्लेटिनम सामग्री के मूल्य पर विचार करते हुए घरेलु रूप से अधिप्राप्ति के मूल्य के साथ-साथ रत्न आदि जैसी अन्य मदो के मूल्य के साथ स्वीकार्य अपव्यय सहित गणना की जानी चाहिए। प्राधिकरण पात्रता की गणना शेष एफओबी निर्यात मूल्य (एचबीपी खण्ड । के परिशिष्ट 4 एफ) के 50 प्रतिशत पर की जानी है।

जेडीजीएफटी के कार्यालय, जयपुर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2017-18 की अवधि के दौरान ₹34.71 करोड़ के मूल्य के 22 प्राधिकार जारी किए गए थे। सभी 22 प्राधिकारों की लेखापरीक्षा की गई तथा यह पाया गया को कीमती तथा अर्द्धकीमती पत्थरों तथा डायमण्ड आदि से जड़े हुए सोना तथा चाँदी के आभूषणों के निर्यात के लिए 549 एसबी के प्रति ₹30.96 करोड़ के मूल्य के 19 प्राधिकार प्रदान किए गए थे। प्राधिकार प्रदान करते समय जेडीजीएफटी ने अन्य इनपुट की लागत को ध्यान में रखे बिना ही सोने/चाँदी की लागत पर सात प्रतिशत के मूल्य वर्धन की गणना की गई। जबकि, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, निर्यात उत्पाद में सोने/चाँदी/प्लेटिनम की लागत के साथ-साथ रत्न जैसी अन्य मदों के मूल्य सहित स्वीकार्य अपव्यय के साथ इनपुटों के मूल्य पर सात प्रतिशत मूल्यवर्धन की आवश्यकता थी। इसके अनुसार ₹28.55 करोड़ की हकदारी के प्रति, निर्यातकों को ₹30.96 करोड़ के प्राधिकार प्रदान किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹2.41 करोड़ के अधिक प्राधिकार दिए गए।

जेडीजीएफटी, जयपुर ने ₹50 लाख के ब्याज के साथ ₹2.41 करोड़ की पूरी राशि की वसूली की सूचना दी थी (जून 2018 से जनवरी 2019)।

(ख) अग्रिम प्राधिकार के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा न करना

एचबीपी, खण्ड I, 2015-20 (पैराग्राफ 4.20) के साथ पठित एफटीपी, 2015-20 (पैराग्राफ 4.22) निर्धारित करता है कि निर्धारित समय के भीतर अग्रिम प्राधिकार (एए) के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा करने तथा उसके बाद दो महीने के अन्दर निर्यात के साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफलता से ब्याज के साथ आयातित सामग्री पर पूर्ववत सीमा शुल्क की वसूली होगी।

आरए, बैंगलुरू ने मैसर्स 'एफ' टिम्बर्स मैगलुरू को लाइसेंस के जारी करने की तिथि के 18 महीनों (मार्च 2018) के अन्दर ₹17.30 करोड़ के निर्यात दायित्व को पूरा करने के निर्धारण के साथ, ₹1.17 करोड़ की राशि के बचत शुल्क के साथ ₹14.04 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के साथ 'कच्चे काजू' के आयात के लिए एक एए दिनांक 16 सितम्बर 2016 को जारी किया। आरए ने वैधता अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा दिया (15 सितम्बर 2018 तक)।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2019) कि लाइसेंस धारक ने एनसीएच, मंगलुरू के माध्यम से माल आयात किया (सितम्बर 2016 से जून 2017), परन्तु आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत कर अभी तक (अप्रैल 2019) ईओ को पूरा करने में विफल रहा। इसलिए, लागू ब्याज के साथ ₹1.17 करोड़ की परिव्यक्त शुल्क राशि लाईसेंस धारक से वसूल करना आवश्यक था।

वित्त मंत्रालय, डीओआर ने कहा (जून 2020) कि ₹40 लाख की एक राशि आयातकों से (फरवरी 2020 तक) वसूली थी तथा ब्याज के साथ शेष को वसूल करने के लिए एससीएन जारी किया गया था (मार्च 2020)।

5.2.4 निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना

(क) ईपीसीजी प्राधिकार के अनियमित निर्वहन के कारण आयातों पर सीमा शुल्क तथा ब्याज की वसूली न होना।

एफटीपी 2009-14 के अध्याय 5 के अनुसार, ईपीसीजी योजना शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन से पहले, उत्पादन तथा उत्पादन के बाद पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है। इस योजना के अतर्गत पूंजीगत आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के बराबर ईओ के विषयाधीन है, जिसे प्राधिकार जारी करने की तिथि से गणना किए गए 6 वर्षों में पूरा किया जाना था। एफटीपी (2009-14) का पैराग्राफ 5.9 निर्धारित करता है कि निर्यात में तेजी लाने की दृष्टि से, ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार धारक ने निर्दिष्ट मूल ईओ अवधि से आधे, या आधे से कम अवधि में विशेष ईओ के 75 प्रतिशत या अधिक और औसत ईओ के सौ प्रतिशत को आज तक पूरा किया है, शेष ईओ को माफ कर दिया जाएगा। एचबीपी, खण्ड । के पैराग्राफ 9.12 में कार्गो के प्रेषण के विभिन्न साधनों जैसे समुद्र द्वारा, हवाई मार्ग से सड़क से आदि के मामलो में निर्यात के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख के रूप में गिना जाना निर्दिष्ट करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 755 ईपीसीजी प्राधिकारों का ₹4,003 करोड़ की बचत शुल्क राशि सहित दिसम्बर 2015 से मार्च 2017 तक के दौरान एडीजीएफटी, कोलकाता के कार्यालय द्वारा संपादन किया गया था। संपादित 755 ईपीसीजी प्राधिकरणों में से, लेखापरीक्षा ने ₹1.61 करोड़ के शुल्क वाले

27 प्राधिकारो की नमूना जाँच की। नमूना जाँच किए गए संपादित ईपीसीजी प्राधिकरणों में से, लेखापरीक्षा में ₹1.50 करोड़ की बचत शुल्क राशि के साथ एक प्राधिकार दिनांक 29.09.209 के मामले में अनियमितताएँ पाई गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-

एडीजीएफटी, कोलकाता के कार्यालय की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि मैसर्स 'जी' मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कोलकाता को ₹1.50 करोड़ की बचत शुल्क राशि के लिए टेक्सटाइल उद्योग के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए एक शून्य शुल्क का ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंस को 28 सितम्बर 2015 तक ₹9 करोड़ के मूल्य के सूती कपड़े के निर्यात की देयता के साथ जारी किया गया था। वास्तव में फर्म ने ₹1.52 करोड़ की बचत शुल्क राशि के मूल्य के पूंजीगत माल को आयात किया गया था तथा परिणामस्वरूप वास्तविक विशेष ईओ संशोधित कर ₹9.10 करोड़ कर दिया गया था। लाईसेंस को एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 5.9 के अन्तर्गत आरए, कोलकाता द्वारा 14 फरवरी 2017 को डिसचार्ज किया गया, विशेष ईओ का 75 *प्रतिशत* या अधिक का मामला था जिसे निर्दिष्ट मूल ईओ अवधि (अर्थात् सितम्बर 2012 तक) के आधे के अन्दर अथवा आधे से कम में पूरा किया गया। तथापि, आगे की संविक्षा से यह पता चला कि सभी निर्यातों को नवम्बर 2012 में किया गया था, जो कि ईपीसीजी प्राधिकरण की मूल ईओ अवधि के आधे के बाद थी जो सितम्बर 2012 में समाप्त हो चुकी थी। तदनुसार, एफटीपी (2009-14) के पैराग्राफ 5.9 का प्रावधान तत्कालीन मामले में लागू नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ईपीसीजी प्राधिकरण का अनियमित संपादन हुआ जिसके लिए कुल ₹73.78 लाख का सीमा शुल्क ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

इसके बताए जाने पर (अप्रैल 2017), एडीजीएफटी, कोलकाता ने एफटीडीआर अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एक एससीएन जारी किया (जुलाई 2017) तथा तदुनुपरान्त यह सूचित किया (अप्रैल 2019) कि 14 फरवरी 2017 को जारी किए गये डिसचार्ज लैटर को वापिस ले लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (जुलाई 2020)।

5.2.5 सर्वड फ्राम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस)

(क) एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का गलत प्रदान करना

एफटीपी, 2009-14 के पैराग्राफ 3.12.1के संदर्भ में एसएफआईएस का उद्देश्य भारत से सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को तेजी से बढ़ाना है जो तत्काल मान्यता प्राप्त तथा विश्व भर में सम्मानित एक शक्तिशाली तथा विशिष्ठ 'सर्वड फ्राम इंडिया' ब्रांड का सृजन करता है। एचबीपी, खंड I के परिशिष्ट 41 में सूचीबद्ध सेवाओं के सेवा प्रदाता एसएफआईएस के अन्तर्गत चालू वि.व. के दौरान अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क पत्रक के हकदार है। ''लेखाकरण सेवाए; तथा अभियांत्रिकी सेवाएं'' एसएफआईएस लाभों (एचबीपी, खंड-I के परिशिष्ट 41 के क्रम संख्या 1क (ख एवं ग) के लिए पात्र है।

डीजीएफटी की नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) ने अपनी बैठक (दिसम्बर 2011) में कहा कि एफटीपी का किसी भी ब्रांड जो भारत के बाहर निर्मित हुआ है को कोई प्रोत्साहन देने का इरादा नहीं था। उपरोक्त पीआईसी निर्णय को एक्सवाईजेड प्राईवेट लिमिटेड (2015 की रिट याचिका सं. 33 में) के मामले में दिनांक 17 अगस्त 2015/16 सितम्बर 2015 के बोम्बे उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा बाद में सही ठहराया गया था।

तेरह एसएफआईएस लाईसेंसों को, जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान ₹1.40 करोड़ के मूल्य पर जारी किया गया था तथा यह पाया गया था कि सभी 13 लाईसेसों को 'अभियांत्रिकी सेवाओं' तथा 'लेखाकरण सेवा' के लिए मैसर्स 'एच' टेक्नोलाजीस प्राईवेट लिमिटेड को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने सभी 13 लाईसेंसों की जांच की तथा पाया कि सभी 13 लाईसेंसों में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स गलत ढंग से प्रदान किया गया। यह पाया गया था कि मैसर्स 'एच' टेक्नोलाजी प्राईवेट लिमिटेड, विदेशी कंपनी मैसर्स 'आई' यूएसए की सहायक कंपनी थी। अत: वे एसएफआईएस क्रेडिट स्क्रिप्स प्रदान किए जाने के लिए अपात्र थे। तदनुसार, एसएफआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का गलत प्रदान किया जाना ₹1.40 करोड़ की सीमा तक ब्याज सहित वसूली योग्य था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2020)।

5.3 निष्कर्ष

28 आरए की नमूना जांच से, निर्धारित नियमों, एफटीपी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए निर्मित प्रक्रियाओं तथा निर्यात दायित्वों को पूरा करने के संबंध में प्रक्रियाओं तथा निर्यात प्रोत्साहन देने के उल्लंघन के मामलों का पता चला। उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित मामले केवल निर्देशी है जो लेखापरीक्षा की जांच पर आधारित है तथा नियम व प्रक्रियों की भूल-चूक की त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता। विभाग को सलाह दी जाती है कि इन सभी ईपीसीजी व अन्य योजनाओं की शर्तों को पूरा ना करने के मामलों की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करें। लेखापरीक्षा में इंगित मामलों में बचत शुल्क की वसूली के लिए उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली **(संदीप लाल)**
दिनांक: 24 नवम्बर 2020 **महानिदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चन्द्र मुर्मू)**
दिनांक: 02 दिसम्बर 2020 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**